प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी जोधपुर ग्रामीण** थाना **ए.सी.बी. सी.पी.एस., जयपुर** वर्ष **2023**
प्र.इ.रि.सं. 214/2023 दिनांक 6/8/2023

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें 7, 7ए
(2) अधिनियम ......–......भा.द.स.......–..........धारायें........120बी, 384...
(3) अधिनियम ....–..............धारायें..............–..........
(4) अन्य अधिनियम व धाराये.....................–.....................

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या ......112......समय......4:40 PM.......
(ब) अपराध के घटने का दिन :– 05.08.2023 समय – 1.17 पी.एम.
(ज) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– 01.08.2023 समय 3.30 पी.एम.

4. सूचना किस्म :– लिखित

5. घटनास्थल :– अम्बिका मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण चौकी से बदिशा पश्चिम, करीब 04 कि0मी0
(ब) पता :– अम्बिका मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर ।
..............................बीट सख्या..........–..........जरायमदेही सं...–......
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....–..............जिला..........–..........

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री दिलीप कुमार
(ब) पिता का नाम : श्री भंवरलाल
(स) जन्म तिथि : 21 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता,:– भारतीय
(य) पासपोर्ट सख्या..........–..........जारी होने की तिथि ...–........
जारी होने की जगह ....–..........
(र) व्यवसाय :– पढाई
(ल) पता :– निवासी – देरामानियों की ढाणी बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाडमेर

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
1. श्रीमति संजु भाटी पत्नि श्री विजय सोंलकी उम्र 47 साल जाति घांची निवासी मकान नम्बर 87/5 मिल्क मैन कॉलोनी जोधपुर हाल प्रिन्सीपल अंबिका शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गुडा विश्नोईयान प्रशासनिक कार्यालय अंबिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर
2. सह आरोपी श्री कार्तिकेय उर्फ कपिल प्रजापत पुत्र श्री हनुमानराम प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 29 साल निवासी 2 अ 9 मधुवन कॉलोनी जोधपुर हाल ईन्चार्ज मेडिकल एवं केस काउन्टर अंबिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर

8. शिकायत/इत्तिला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण
....

9. चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)
....

10. चोरी हुई सम्पत्ति कुल मूल्य/रिश्वती राशि 4,000/– रूपये..............

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट), (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0), (यदि कोई हो तो)..............

12. प्र.सू.रि. की विषय वस्तु (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)

सेवामें,

श्रीमान अति. पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर ग्रामीण (राज.)

विषय :– रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडाना।

महोदय जी

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं प्रार्थी दिलीप कुमार पुत्र श्री भंवरलाल, गांव बायतु पनजी, बायतु (बाडमेर) अर्ज है कि मैं अंबिका शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गुडा विश्नोईयां, जोधपुर से बी.ए. बी.एड. चतुर्थ वर्ष का छात्र हूं। मेरे द्वारा नियमित रूप से महाविद्यालय में उपस्थित दी जा रही है। माह–जून 2023 में परीक्षा के फार्म की हार्डकॉपी मेरी जमा नहीं कर महाविद्यालय की प्राचार्या श्रीमति संजू भाटी द्वारा मेरी उपस्थिति कम करने की धमकी देकर 15,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी, उस समय मैने 5,000/– रूपये दिये थे, तो मेरी फार्म की हार्ड कॉपी 27 जून 2023 को अंतिम तारिख को जमा की थी। शेष राशि 10,000/– रूपये नहीं देने पर मुझे बार–बार प्राचार्या श्रीमती संजू भाटी द्वारा परेशान किया जा रहा है, मेरी इस वर्ष की छात्रवृति प्राप्त करने हेतु बायोमैट्रिक महिने में एक बार करनी होती है, जो जुलाई माह से नहीं करने दे रहे है तथा मुझे उपस्थिति कम करने, संत्राक कम भेजने व उपस्थिति डाटा नष्ट करने की धमकियां दे रही है, इसी तरह से मेरे साथी सोमाराम द्वारा रूपये नहीं देने पर उसे कॉलेज से निलंबित कर दिया मुझे भी धमकी दी की तेरा हाल भी सोमाराम की तरह करेगें, नही तो पैसे दे दे। मैं मेरे जायज काम के बदले कॉलेज प्राचार्या को किसी भी तरह की रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूॅ तथा उसे रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूॅ। मेरा कॉलेज में किसी भी तरह का कोई बकाया नहीं है।

दिनांक– 01/08/2023

प्रार्थी

एसडी दिलीप कुमार

दिलीप कुमार
मो.न. 8290285461

कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

निवेदन है कि दिनांक 01.08.2023 वक्त 3.30 पी.एम. पर मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण के समक्ष कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर परिवादी दिलीप कुमार पुत्र श्री भंवरलाल जाति मेघवाल उम्र 21 साल निवासी देरामानियों की ढाणी बायतु पनजी, तहसील बायतु जिला बाडमेर ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की व तकरीरन दरियाफ्त पर परिवादी ने लिखित सुदा रिपोर्ट मे अंकित तथ्य सही होना, रिपोट स्वंय के हस्तलिखित होकर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरे द्वारा नियमित रूप से महाविद्यालय में उपस्थित दी जा रही है। माह–जून 2023 में परीक्षा के फार्म की हार्डकॉपी मेरी जमा नहीं कर महाविद्यालय की प्राचार्या श्रीमति संजू भाटी द्वारा मेरी उपस्थिति कम करने की धमकी देकर 15,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी, उस समय मैने 5,000/– रूपये दिये थे, तो मेरी फार्म की हार्ड कॉपी 27 जून 2023 को अंतिम तारिख को जमा की थी। शेष राशि 10,000/– रूपये नहीं देने पर मुझे बार–बार प्राचार्या श्रीमती संजू भाटी द्वारा परेशान किया जा रहा है, मेरी इस वर्ष की छात्रवृति प्राप्त करने हेतु बायोमैट्रिक महिने में एक बार करनी होती है, जो जुलाई माह से नहीं करने दे रहे है तथा मुझे उपस्थिति कम करने, संत्राक कम भेजने व उपस्थिति डाटा नष्ट करने की धमकियां दे रही है, इसी तरह से मेरे साथी सोमाराम द्वारा रूपये नहीं देने पर उसे कॉलेज से निलंबित कर दिया मुझे भी धमकी दी की तेरा हाल भी सोमाराम की तरह करेगें, नही तो पैसे दे दे। मैं मेरे जायज काम के बदले कॉलेज प्राचार्या को किसी भी तरह की रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूॅ तथा उसे रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूॅ। मेरा कॉलेज में किसी भी तरह का कोई

बकाया नहीं है। दौराने पूछताछ बताया कि हमारा प्रशिक्षण महाविद्यालय गुडा विश्नोईयां जोधपुर में है परन्तु महाविद्यालय की प्रिन्सीपल श्रीमति संजू भाटी का कार्यालय अंबिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर में है वहीं पर श्रीमति संजू भाटी मेरे से रिश्वति राशि की मांग करेगी। मेरी रिपोर्ट पर कानुनी कार्यवाही करावे। परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पाया जाने पर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जाकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। जिस पर वक्त 3.50 पी.एम. पर मन अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय में उपस्थित श्री अमरसिंह कानि. 415 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर कानि. श्री अमरसिंह कानि. 415 से परिवादी श्री दिलीप कुमार का आपसी परिचय करवाकर कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर अलमारी से निकालकर परिवादी श्री दिलीप कुमार एवं श्री अमरसिंह कानि. 415 को कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर को चलाना व बंद करने की समझाईस कर परिवादी व श्री अमरसिंह के मोबाईल नम्बरो का आपस में आदान प्रदान करवाया गया। तत्पश्चात वक्त 4.10 पी.एम पर कानि. अमरसिंह 415 को कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मे नया मेमोरी कार्ड डालकर सुपुर्द कर श्री अमरसिंह कानि 415 को हिदायत दी गई कि परिवादी दिलीप कुमार के साथ अम्बिका हॉस्पीटल के पास पहुॅच डिजिटल वाईस रिकॉर्ड चालु कर परिवादी श्री दिलीप कुमार को सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु अम्बिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर के लिये रवाना किया। तत्पश्चात वक्त 4.40 पी.एम पर कानि. अमरसिंह 415 एवं परिवादी दिलीप कुमार उपस्थित आये एवं कानि. श्री अमरसिंह ने कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर पेश करते हुए बताया कि मैं व श्री दिलीप कुमार कार्यालय से रवाना हो अम्बिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर के आगे पहुॅचे तथा अम्बिका हॉस्पीटल जॅहा पर संग्दिध कर्मचारी की परिवादी से रिश्वति राशि मांग सत्यापन के संबंध में वार्ता होनी थी परन्तु संग्दिध कर्मचारी के कार्यालय कक्ष में नव प्रवेश हेतु विधार्थियों की भीड भाड होने के कारण परिवादी श्री दिलीप कुमार ने कहा कि श्रीमति संजु भाटी प्रिसिंपल के कार्यालय कक्ष व आस–पास भीड भाड अधिक होने के कारण रिश्वति राशि के संबंध में वार्ता नहीं हो पायेगी। जिस पर वहां से रवाना हो कार्यालय हाजिर आये है तथा परिवादी श्री दिलीप कुमार से पूछताछ करने कानि. अमरसिंह के कथनो की ताईद की जिस पर आईन्दा दिनांक 02.08.2023 को मांग सत्यापन वार्ता करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर कल दिनांक 02.08.2023 को वक्त 12.00 पीएम पर परिवादी श्री दिलीप कुमार को कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 02. 08.2023 को वक्त 12.10 पीएम पर पूर्व से पाबन्द सुदा परिवादी श्री दिलीप कुमार उपस्थित कार्यालय आया। तत्पश्चात वक्त 12.15 पीएम पर कानि. अमरसिंह 415 को कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर श्री अमरसिंह कानि 415 को हिदायत दी गई कि परिवादी दिलीप कुमार के साथ अम्बिका हॉस्पीटल के पास पहुॅच डिजिटल वाईस रिकॉर्ड चालु कर परिवादी श्री दिलीप कुमार को सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु अम्बिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर के लिये रवाना किया। वक्त 4.40 पीएम पर कानि. अमरसिंह 415 एवं परिवादी दिलीप कुमार उपस्थित आये एवं कानि. श्री अमरसिंह ने कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर स्वीच ऑफ सुदा पेश करते हुए बताया कि मैं व श्री दिलीप कुमार कार्यालय से रवाना हो अम्बिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर के आगे पहुॅचे तो वहाॅ नव प्रवेश विधार्थियो की भीड भाड अधिक होने से परिवादी को कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर की विधि पुनः समझाईश कर डिजिटल वाईस रिकार्डर सुर्पद कर हिदायत की गई कि भीड भाड कम होने पर गोपनीय रूप से डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर श्रीमति संजू भाटी प्रिसीपल से रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु रवाना किया तथा मैं परिवादी के आने के ईन्तजार में अपनी उपस्थिति छिपाते हुए आस–पास मुकिम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री दिलीप कुमार मेरे पास उपस्थित आया एवं डिजिटल वाईस रिकार्डर स्वीच ऑफ सुदा मुझे सुपर्द किया जो मैने अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने बताया कि मैं आपके पास से वाईस रिकार्डर लेकर रवाना होकर अम्बिका हॉस्पीटल के आगे पहुॅचा जहाॅ पर भीड भाड ज्यादा होने के कारण मैं अम्बिका हॉस्पीटल के पास ही भीड भाड कम होने के ईन्तजार में खडा रहा। काफी समय पश्चात भीड भाड कम होने पर साईड में जाकर आपके द्वारा सुपर्द डिजिटल वाईस रिकार्डर को स्वीच ऑन कर अपने पहनी हुए शर्ट की उपर की बायी जेब में रख कर रिश्वति राशि मांग सत्यापन हेतु अम्बिका हॉस्पीटल के अन्दर गया जहाॅ पर श्रीमति संजु भाटी प्रिन्सीपल अपने कक्ष में उपस्थित मिली जिनसे बात करने पर उन्होने मेरे से बायोमेट्रिक हाजरी करने एवं स्कोलरशिप को क्लियर करने की एवज में 4,000/– रूपये रिश्वत के मांगकर कल शाम तक लेकर आने हेतु सहमत हुई है। तत्पश्चात परिवादी श्री दिलीप कुमार से पूछताछ करने परिवादी द्वारा कानि. अमरसिंह के कथनो की ताईद करते हुए बताया कि मेरे निजी कार्य होने एवं मेरे पास रिश्वति राशि 4,000/– की राशि की व्यवस्था नहीं होने के कारण कल दिनांक 03.08.2023 को रिश्वति राशि का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, मे दिनांक 05.08.2023 को रिश्वति राशि की व्यवस्था कर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर को ऑन कर सुना गया तो संग्दिध द्वारा परिवादी से 4,000/– रूपये रिश्वति राशि की मांग करना पाया गया। आईन्दा स्वतंत्र गवाहान को तलब कर ट्रेप कार्यावाही की जावेगी। हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन किये गये। तत्पश्चात वक्त 5.15 पीएम पर परिवादी श्री दिलीप

कुमार को रिश्वति में दी जाने वाली राशि 4,000/– रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 05.08.2023 को 8.00 एएम पर कार्यालय उपस्थित आने की एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 04.08.2023 वक्त 4.00 पी.एम पर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को श्रीमान तहसीलदार, तहसील कुडी भगतासनी जोधपुर के नाम तेहरीर क्रमांक 1244 दिनांक 04.08.2023 दो स्वतंत्र गवाहान एक महिला एवं एक पुरूष उपलब्ध करवाने हेतु जारी कर रवाना किया गया। वक्त 5.40 पी.एम. पर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को श्रीमान तहसीलदार, तहसील कुडी भगतासनी जोधपुर से जारी पत्र क्रमांक 563 दिनांक 04.08.2023 जारी सुदा लेकर हाजिर आया प्राप्त पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि तहसीलदार कुडी द्वारा गोपनीय कार्यवाही हेतु श्रीमति नेमी पटवारी पटवार हल्का कांकेलाव मोबाईल नम्बर 8561906377 एवं श्री हरिश जांगिड कनिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय कुडी भगतासनी मोबाईल नम्बर 7014588629 को पाबन्द किया गया। तत्पश्चात वक्त 5.45 पी.एम पर श्रीमति नेमी पटवारी कांकेलाव से उनके मोबाईल नम्बर 8561906377 एवं श्री हरिश जांगिड कनिष्ठ सहायक मोबाईल नम्बर 7014588629 से जरिये मोबाईल वार्ता कर कल दिनांक 05.08.2023 को गोपनीय कार्यवाही हेतु वक्त 9.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर शहर से उनके कार्यालय में पदस्थापित महिला कानि. को कल दिनांक 05.08.2023 को वक्त 9.30 एएम पर इस कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करने बाबत निवेदन किया गया तथा कार्यालय में उपस्थित समस्त ब्यूरो जाब्ता को कल दिनांक 05.08.2023 को 9.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। वक्त 6.35 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु एक अन्य अनुसंधान अधिकारी की आवश्यकता होने पर उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार श्री पदमपालसिंह भाटी निरीक्षक पुलिस भ.नि. ब्यूरो सिरोही से जरिये मोबाईल वार्ता कर कल दिनांक 05.08.2023 को समय 9.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 05.08.2023 वक्त 9.30 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा श्री पदमपालसिंह भाटी निरीक्षक पुलिस भ. नि. ब्यूरो सिरोही एवं श्रीमति सीता महिला कानि. 172 भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर शहर से उपस्थित आये। वक्त 10.00 ए.एम पर पूर्व से पांबद शुदा स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय मे उपस्थित आने पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उक्त दोनो गवाहान से परिचय पूछने पर उन्होने अपना परिचय बारी–बारी से श्री हरिश जांगिड पुत्र श्री पूनाराम जांगिड जाति सुथार जांगिड उम्र 28 साल निवासी मकान नम्बर 42 गायत्री नगर पाल रोड जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय कुडी भगतासनी जोधपुर मो. न. 7014588629 एवं श्रीमति नेमी विश्नोई पुत्री श्री बाबुलाल विश्नोई जाति विश्नोई उम्र 32 साल निवासी डाबर लोहावट तहसील लोहावट जिला जोधपुर हाल पटवारी पटवार हल्का कांकेलाव तहसील कुडी भगतासनी जिला जोधपुर मो. न. 8561906377 के रुप मे दिया। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया एवं पढाई गई। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस अपनी अभिरक्षा से कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड निकालकर चालु कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्डेड वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी की रिपोर्ट पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर प्रकरण मे बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक अनुमति दी गई। वक्त 10.10 ए.एम पर पूर्व से पांबद शुदा परिवादी श्री दिलीप कुमार कार्यालय मे उपस्थित आया। जिस पर मन अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जोधपुर ग्रामीण द्वारा परिवादी श्री दिलीप कुमार का कार्यालय मे उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्रीमति नेमी विश्नोई पटवारी एवं श्री हरिश जांगिड कनिष्ठ सहायक से आपसी परिचय करवाया गया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी श्री दिलीप कुमार से उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित तथ्यो के संबंध मे पूछताछ कर पूर्ण तसल्ली की गई। ताबाद मन अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा रुबरु दोनो स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री दिलीप कुमार को आरोपिया श्रीमति संजू भाटी प्रिन्सीपल को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि के बारे पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि मै 4,000/– रुपये अपने साथ लेकर आया हुं। तत्पश्चात वक्त 10.30 ए.एम पर मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री दिलीप कुमार को रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा जाने पर परिवादी श्री दिलीप कुमार ने आरोपिया को दी जाने वाली रिश्वती राशि 4,000/–रू 500–500 रू. के कुल 8 नोट रूबरू गवाहान के प्रस्तुत किये। जिस पर श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 से मालखाना से फिनोफ्थलीन की शीशी मंगवाई जाकर उक्त रिश्वती राशि 4,000/– रुपये श्री ताराचन्द्र हैड कानि. को सुपुर्द कर उक्त नोटो को एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री हरिश जांगिड से लिवाई गई तो परिवादी के पास मोबाईल फोन, स्वयं का आधार कार्ड, परिचय पत्र के अतिरिक्त कोई आपत्तिजनक राशि/अन्य सामान नहीं रहने दिया गया। उक्त नोट परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 से रखवाये गये। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई की रिश्वती राशि को रास्ते में हाथ ना लगाये व आरोपिया द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने मोबाईल नं. 8290285461 से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर 9928855477 पर मिस कॉल/कॉल अथवा दोनो हाथ सिर पर दो बार फेर कर गोपनीय इशारा करें। गवाहान व ट्रेप पार्टी को भी आरोपिया व परिवादी के मध्य होने वाली बातचीत व लेन–देन को यथा सम्भव सुनने व देखने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 के हाथ धोवन की कार्यवाही की जाकर दृष्टांन्त फिनोफथलीन पाउडर व

सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया को भली भांति समझाया गया। इसके बाद दृष्टांत के काम मे लिये गये ट्रेप सामग्री किट को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बॉक्स मे रखवाया गया। जिस पुराने अखबार पर राशि रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था उस अखबार को रूबरू गवाहान श्री ताराचन्द्र हैड कानि. 112 से जलवाया जाकर नष्ट कराया गया। इसके पश्चात परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप पार्टी की आपस मे तलाशी लिवाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं रहने दी गई। सभी के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना मे सुरक्षित रखवाई जाकर हैड कानि. को कार्यालय मे रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 11.55 ए.एम. मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस मय कानि. रामकिशोर 110 को पुलिस थाना कुडी भगतासनी से दो कानि. हमराह लेकर अंबिका शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गुडा विश्नोईयान पहुँच गोपनीय रूप से अपनी उपस्थित छिपाते हुए खडे रहे एवं मन् निरीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार महाविद्यालय से संबधित रिकार्ड जब्त करने हेतु निर्देशित कर रवाना किया गया। वक्त 12.00 पी.एम. पर मन् श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्रीमति नेमी विश्नोई पटवारी, श्री हरिश जांगीड कनिष्ठ सहायक, ब्यूरो जाब्ता श्री बचनाराम कानि. 447, श्रीमति सीता महिला कानि. मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लाला राम ड्रा.कानि. 638 व परिवादी श्री दिलीप कुमार श्री अमरसिंह कानि. 415 के साथ उनकी निजी मोटरसाईकिल से तथा हमराह सुपरविजन श्री ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री ओमप्रकाश कानि. 471 जरिये निजी वाहन के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से अंबिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर की तरफ रवाना हुए। वक्त 12.35 पी.एम. पर मन् श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्रीमति नेमी विश्नोई पटवारी, श्री हरिश जांगीड कनिष्ठ सहायक, ब्यूरो जाब्ता श्री बचनाराम कानि. 447, श्रीमति सीता महिला कानि. मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लाला राम ड्रा.कानि. 638 एव परिवादी श्री दिलीप कुमार श्री अमरसिंह कानि. 415 के साथ उनकी निजी मोटरसाईकिल से तथा हमराह सुपरविजन हेतु श्री ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री ओमप्रकाश कानि. 471 जरिये निजी वाहन के अंबिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर के पास पहुँच कर सरकारी एवं निजी वाहनों को गोपनीय रूप से सडक के किनारे खडे करवाया गया। तत्पश्चात वक्त 12.40 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री अमरसिंह कानि. नम्बर 415 को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें मेमोरी कार्ड हैं सुपुर्द कर अंबिका हॉस्पीटल के मुख्य द्वार से थोडा पहले पहुंच कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री दिलीप कुमार को सुपुर्द करने की हिदायत कर परिवादी के साथ पैदल ही अंबिका हॉस्पीटल के लिये रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय शेष ब्यूरों जाब्ता व स्वतन्त्र गवाहान परिवादी के पीछे–पीछे गोपनीय रूप से अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए अंबिका हॉस्पीटल के लिये पैदल–पैदल रवाना हुए। वक्त 12.45 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों जाब्ता व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी के पीछे–पीछे गोपनीय रूप से अंबिका हॉस्पीटल के पास पहुंच अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वास्ते सुपरवीजन हमराह हैं। तत्पश्चात वक्त 1.17 पी.एम पर परिवादी श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री भंवरलाल जाति मेघवाल उम्र 21 साल निवासी गांव देरामानियों की ढाणी बायतु पनजी, तहसील बायतु जिला बाडमेर ने मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को पूर्व मे निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल नम्बर 8290285461 से मेरे मोबाईल पर 9928855477 पर मिस कॉल कर किया। जिस पर परिवादी के उक्त मिस कॉल के ईशारे पर मन अमराराम निरीक्षक पुलिस द्वारा अम्बिका मल्टिस्पेशेलिटी हॉस्पीटल जोधपुर के आस–पास खडे श्रीमान ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो जाब्ता एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को ईशारे से बुलाकर हमराह लेकर अम्बिका मल्टिस्पेशेलिटी हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर के कार्यालय भवन मे प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही सामने की गैलेरी मे मेडिकल स्टोर के सामने परिवादी श्री दिलीपकुमार खडा मिला। जिस पर परिवादी को पूर्व मे दिया गया कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर स्वीच ऑफ कर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। आईन्दा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिट तैयार की जावेगी। परिवादी ने रुबरु गवाहान व ब्यूरो जाब्ता के मन निरीक्षक पुलिस को उक्त मेडिकल स्टोर मे खडे एक व्यक्ति एवं एक महिला की तरफ ईशारा कर बताया कि यह महिला श्रीमति संजु भाटी प्रिसींपल एवं यह व्यक्ति श्री कपिल प्रजापत हैं। जिन्होने अभी-अभी मेरे से 4,000/– रू0 रिश्वती राशि के प्राप्त किये है। जिस पर मन अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस ने अपना, हमराही श्री ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से परिचय पूछा तो व्यक्ति ने अपना नाम श्री कार्तिकेय प्रजापत उर्फ कपिल प्रजापत पुत्र श्री हनुमानराम प्रजापत उम्र 29 साल निवासी 2 अ 9 मधुबन कॉलोनी जोधपुर हाल–इन्चार्ज मेडिकल केश काउन्टर अम्बिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर एवं महिला ने अपना नाम श्रीमति संजु भाटी पत्नी श्री विजय सोलंकी

उम्र 47 साल जाति घांची निवासी मकान नम्बर 87/5 मिल्कमैन कॉलोनी जोधपुर हाल– प्रिसींपल अंबिका शिक्षक प्रशिक्षण महाविघालय गुडा विश्नोईयान जोधपुर होना बताया। तत्पश्चात मन अमराराम निरीक्षक पुलिस ने श्री दिलीप कुमार की तरफ ईशारा कर सह आरोपी श्री कार्तिकेय प्रजापत उर्फ कपिल प्रजापत से पूछा गया कि आप इनको जानते हो। जिस पर सह आरोपी श्री कार्तिकेय प्रजापत उर्फ कपिल प्रजापत ने बताया कि हॉ मैं इनको जानता हूँ यह दिलीपकुमार हैं। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रुबरु गवाहान के सह आरोपी श्री कार्तिकेय प्रजापत उर्फ कपिल प्रजापत से पूछा गया कि अभी आपने श्री दिलीप कुमार से किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त की हैं, जिस पर सह आरोपी श्री कार्तिकेय प्रजापत उर्फ कपिल प्रजापत ने रुबरु गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के कहा कि हॉ मैने श्री दिलीप कुमार से 4,000/– रुपये अपने हाथ मे लेकर गिनकर मेडिकल केश काउन्टर की दराज मे अन्य राशि के साथ रखें हैं। इस राशि के संबंध मे पूछने पर सह आरोपी श्री कार्तिकेय प्रजापत उर्फ कपिल प्रजापत द्वारा बताया गया कि श्री दिलीपकुमार द्वारा कॉलेज की बस मे यात्रा की जाती हैं जिसकी बकाया राशि श्रीमति संजु भाटी प्रिंसीपल के कहेनुसार प्राप्त किये हैं। रोजाना रजिस्टर मे इन्द्राज किये हुए पैसे श्री प्रवेश जी व दीपक श्रीवास्तव के कहने पर लेते हैं। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री दिलीपकुमार ने आरोपी के उक्त कथनो का खंडन करते हुए बताया कि मैने कभी कॉलेज की बसो मे यात्रा नही की हैं और ना ही बस के लिये मेरे से पैसे मांगे हैं श्रीमति संजु भाटी प्रिसीपल द्वारा मेरी सत्रांक कम भेजने, उपस्थिति कम कर, उपस्थिति डाटा नष्ट करने की धमकी देकर तथा बायोमेट्रिक उपस्थिति भेजने की एवज मे मांग कर श्री कपिल प्रजापत को दिये जाने हेतु कहने पर मेरे द्वारा उसे 4,000/– रुपये रिश्वती राशि के रुप मे दिये गये हैं। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमति संजु भाटी प्रिसीपल से श्री दिलीपकुमार की तरफ ईशारा कर पूछने पर श्रीमति संजु भाटी द्वारा बताया गया कि यह दिलीकुमार हैं। जिस पर श्रीमति संजु भाटी से दिलीपकुमार से मांग की गई रिश्वती राशि के संबंध मे मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रुबरु गवाहान के पूछने पर श्रीमति संजु भाटी ने बताया कि श्री दिलीपकुमार हमारे महाविघालय मे बीए बीएड चतुर्थ वर्ष का विधार्थी हैं एवं इसकी उपस्थिति पूरी नही होने के कारण बायोमेट्रिक उपस्थिति पूर्ण करने की एवज मे विधार्थी के नियमित नही आने पर उपस्थिति पूरी करने के लिये बस पास के रुप मे डा0 दीपक श्रीवास्तव निदेशक अम्बिका टीटी कॉलेज जोधपुर के कहने पर मेरे द्वारा श्री दिलीपकुमार को यह राशि 4,000/– रुपये उनसे मांग कर श्री कार्तिकेय प्रजापत उर्फ कपिल प्रजापत को देने के लिये कहा था, जो उक्त राशि कपिल प्रजापत ने प्राप्त कर केश काउन्टर मे रखे हैं। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा सह आरोपी श्री कार्तिकेय प्रजापत उर्फ कपिल प्रजापत से रिश्वती राशि के बारे मे पूछने पर उन्होने अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब से काउन्टर की चांबी निकालकर काउन्टर का लॉक खोलकर उक्त काउन्टर मे रखी हुई अन्य राशि के बीच मे रखना बताया जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा केश काउन्टर की दराज मे रखी अन्य राशि के साथ रखी हुई रिश्वती राशि 500–500 के नोटो का एक बण्डल दिखाई दिया जिसे मन निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री हरीश जागिड से निकलवाई जाकर पूर्व मे मन निरीक्षक पुलिस द्वारा तैयार करवाई गई फर्द पेशकशी स्वतंत्र गवाह श्रीमति नेमी विश्नोई को सुपुर्द कर स्वतंत्र गवाह श्री हरीश जागिड से उक्त नोटो के नम्बर बोल–बोल कर पूर्व तैयार फर्द से मिलान करवाया गया तो उक्त नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी मे अंकित नम्बर से मिलान होकर हुबहु पाये गये। मन निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त रिश्वती राशि गवाह श्री हरीश जागिड के पास ही सुरक्षित रहने दी गई। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा सह आरोपी श्री कार्तिकेय प्रजापत उर्फ कपिल से पूछा गया कि जो पैसे अभी आपने लिये हैं उस बाबत कोई रसीद काटकर दिलीप को दी गई हो तो उस रसीद बुक/बिल बुक की आफिस कॉपी उपलब्ध करवाने हेतु कहने पर सह आरोपी कार्तिकेय प्रजापत उर्फ कपिल प्रजापत ने कहा कि इस बाबत कोई रसीद नही काटी जाती हैं। मै जो भी पैसे केस लेता हु उसका इन्द्राज प्रिन्सीपल के कहेनुसार एक रजिस्टर मे करता हुं। मन निरीक्षक पुलिस द्वारा सह आरोपी से उक्त रजिस्टर के बारे मे पूछने पर आरोपी श्री कार्तिकेय प्रजापत उर्फ कपिल प्रजापत द्वारा एक जोधाना कम्पनी का रजिस्टर जिस पर 309 रजिस्टर नम्बर 04 लिखा हुआ हैं जो कमांक 309 जय श्री विश्नोई बीएससी बीएड चतुर्थ से शुरु होकर अंतिम पेज 386 श्री चेतन पुत्र श्री कोजाराम तक अंकित किया हुआ हैं। उक्त रजिस्टर के कम संख्या 341 पर परिवादी श्री दिलीपकुमार का भी नाम अंकित हैं। उक्त रजिस्टर मे तीन लूज पेपर पाये गये उक्त पेपर पर पेज संख्या 01 से 03 तक अंकित किये गये पेपर के पेज संख्या पर 189 से 242 तक के कमांक के आगे अलग–अलग 5000, 4000, 3000 लिखे हुए हैं उक्त पेज के अंत मे कुल हिसाब 2,99,500 अंकित उक्त पेज के पुस्त पर कमांक 243 से 268 अंकित होकर उक्त कमांक के आगे अलग–अलग 5000, 4000, 10,00 इत्यादि लिखा हुआ होकर पेज के अंत मे 1,65,500 अंकित हैं पेपर के पेज संख्या 02 पर कमांक 57 श्री बाबुलाल सहित 6 व्यक्तियो के नाम लिखा हुआ होकर अंत मे कुल योग 3,83,000 अंकित किया हुआ हैं इसी प्रकार पेज संख्या 03 के कम संख्या 01 पर टीना/जगदीश पालीवाल बीएड द्वितीय वर्ष लिखा हुआ होकर उक्त पेपर पर दो अतिरिक्त व्यक्ति के नाम अंकित होकर उक्त नाम के आगे अलग–अलग 3,000, 2500, 5,000 अंकित किया हुआ हैं। उक्त रजिस्टर मे मिले उक्त तीनो लूज पेपर एवं उक्त रजिस्टर को कब्जा ब्यूरो लिया जाकर रजिस्टर मे अंकित कमं संख्या 309 एवं कमं संख्या 386 पर एवं उक्त तीनो लूज पेपरो पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं दोनो आरोपीगण के हस्ताक्षकर करवाये जाकर मन निरीक्षक पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने हस्ताक्षर किये गये। चूकिं रिश्वती राशि

मेडिकल केश काउन्टर मे रखी अन्य राशियो मे से स्वतंत्र गवाह श्री हरीश जागिड से निकलवाई गई हैं, ऐसी स्थिति मे अन्य राशियो के बीच से रिश्वती राशि बरामद होने से बरामदगी स्थल के केश काउन्टर की दराज का धोवन लिया जाना सम्भव नही होने के कारण उक्त बरामदगी स्थल का धोवन नही लिये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त स्थल अस्पताल परिसर एवं अत्यधिक भीड–भाड होने के कारण आमजन की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए अग्रिम ट्रेप कार्यवाही एसीबी चौकी जोधपुर ग्रामीण मे करने का निर्णय लिया जाकर हालात उच्च अधिकारियो को निवेदन किये गये। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा सह आरोपी श्री कार्तिकेय प्रजापत उर्फ कपिल प्रजापत, आरोपिया श्रीमति संजु भाटी एवं हमराह ब्यूरो जाब्ता व दोनो स्वतंत्र गवाहान के रवाना होकर एसीबी चौकी जोधपुर ग्रामीण पहुंच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए सरकारी वाहन बोलेरो से ब्यूरो जाब्ता से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर सह आरोपी श्री कार्तिकेय प्रजापत उर्फ कपिल प्रजापत इन्चार्ज केश काउन्टर अम्बिका हॉस्पीटल के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो नई कांच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में कार्यालय भवन मे रखे पीने के पानी के कैम्पर मे से उक्त दोनो कांच की गिलासों में पानी भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणो ने गिलासो के उक्त घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार घोल के एक गिलास मे सह आरोपी श्री कार्तिकेय प्रजापत उर्फ कपिल प्रजापत इन्चार्ज मेडिकल केश काउन्टर के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में सह आरोपी श्री कार्तिकेय प्रजापत उर्फ कपिल प्रजापत के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच. –1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात उक्त बरामद सुदा रिश्वती राशि 500–500 रुपये के 08 नोट कुल राशि 4,000/– रू. रिश्वती राशि के नोटो कों बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। अब तक की कार्यवाही से सह आरोपी श्री कार्तिकेय प्रजापत उर्फ कपिल प्रजापत पुत्र श्री हनुमानराम प्रजापत उम्र 29 साल निवासी 2 अ 9 मधुबन कॉलोनी जोधपुर हाल– इन्चार्ज मेडिकल केश काउन्टर अम्बिका हॉसपीटल सरस्वती नगर जोधपुर, आरोपिया श्रीमति संजु भाटी पत्नी श्री विजय सोलंकी उम्र 47 साल जाति घांसी निवासी मकान नम्बर 87/5 मिल्कमैन कॉलोनी जोधपुर हाल– प्रिसींपल अंबिका शिक्षक प्रशिक्षण महाविघालय गुडा विश्नोईयान जोधपुर का अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी, 384 भादस का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन कार्यवाही पृथक से तैयार कर विस्तृत विवरण अंकित किया जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। तत्पश्चात वक्त 3.55 पी.एम. जब्त शुदा रिश्वती राशि, सह आरोपी श्री कार्तिकेय उर्फ कपिल प्रजापत के दोनों हाथों के धोवन के प्रादर्श आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1, एलएच 2 की शील्ड शुदा शीशीयां मालखाना प्रभारी श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा गया। पूर्व से अंबिका शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय पर भेजे गये श्री पदमपालसिंह भाटी निरीक्षक पुलिस उपस्थित आये एवं बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार वांछित रिकार्ड हेतु महाविद्यालय में उपस्थित श्रीमति लता व्याख्याता वर्तमान प्रभारी अम्बिका टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड नर्सिंग कॉलेज से सम्पर्क करने पर रिकार्ड श्रीमति संजु भाटी प्रिंसीपल के पास होना बताया तत्पश्चात मेरे द्वारा उन्हें श्रीमति संजु भाटी के रिश्वति राशि लेते हुए ट्रेप होने के संबंध में बताया जाने पर उन्होने बताया कि आप द्वारा चाहा गया रिकार्ड कमरे में बन्द है एवं कमरे की चाबी श्री प्रवेश जी के पास होना बताया एवं श्री प्रवेश जी वर्तमान में जोधपुर से बाहर होना बताया गया। जिस पर वांछित रिकार्ड प्राप्त किया जाना सम्भव नहीं होने से उक्त कक्ष को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा शील चस्पा किया गया। तत्पश्चात वक्त 4.05 पीएम दस्तीयाब शुदा दोनों आरोपीगण को कार्यालय में श्री ताराचन्द हैड कानि एवं श्रीमति सीता महिला कानि. की निगरानी में सुपर्द कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान परिवादी श्री दिलीप कुमार एवं दोनों गवाहान, ब्यूरो जाब्ता के परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से अंबिका मल्टीस्पेशलिटी हॉसपीटल सरस्वती नगर जोधपुर को रवाना हुआ। वक्त 4.45 पीएम पर परिवादी की निशादेही पर रूबरू गवाहान के घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट कर एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिए रवाना हुआ। वक्त 5.00 पीएम पर परिवादी की निशादेही पर रूबरू गवाहान के घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट कर एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण पहुँच श्री ताराचन्द हैड कानि. एवं श्रीमति सीता महिला कानि. की निगरानी में सुपर्द किये गये दस्तीयाब शुदा दोनों आरोपीगण को मन्

निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में लिया गया। तत्पश्चात वक्त 5.30 पीएम पर आरोपीया श्रीमति संजु भाटी पत्नि श्री विजय सोंलकी उम्र 47 साल जाति घांची निवासी मकान नम्बर 87/5 मिल्क मैन कॉलोनी जोधपुर हाल प्रिन्सीपल अंबिका शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गुडा विश्नोईयान प्रशासनिक कार्यालय अंबिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर से की गई पूछताछ एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपीया द्वारा परिवादी श्री दिलीप कुमार के उपस्थिति कम करने की धमकी देकर 15,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी, उस समय परिवादी द्वारा 5,000/– रूपये दिये थे, तो परिवादी के परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी 27 जून 2023 को अंतिम तारिख को जमा करना एव शेष राशि 10,000/– रूपये नहीं देने पर परिवादी को बार–बार प्राचार्या श्रीमती संजू भाटी द्वारा परेशान किया जाना तथा परिवादी की इस वर्ष की छात्रवृति प्राप्त करने हेतु बायोमैट्रिक महिने में एक बार करनी होती है, जो जुलाई माह से नहीं करने देना तथा परिवादी की उपस्थिति कम करने, संत्राक कम भेजने व उपस्थिति डाटा नष्ट करने की धमकियां देना तथा परिवादी को कॉलेज से निलंबित करने की धमकी देकर परिवादी से 4,000/– रूपये रिश्वति राशि की मांग कर प्राप्त करने हेतु सहमत होकर वक्त ट्रेप कार्यवाही 4,000/– रूपये श्री कार्तिकेय उर्फ कपिल प्रजापत को दिलवाना एवं रिश्वति राशि सह आरोपी श्री कार्तिकेय उर्फ कपिल के कब्जे से बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी, 384 भादस का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीया श्रीमति संजु भाटी पत्नि श्री विजय सोंलकी उम्र 47 साल जाति घांची निवासी मकान नम्बर 87/5 मिल्क मैन कॉलोनी जोधपुर हाल प्रिन्सीपल अंबिका शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गुडा विश्नोईयान प्रशासनिक कार्यालय अंबिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया गया। वक्त 5.45 पीएम पर सह आरोपी श्री कार्तिकेय उर्फ कपिल प्रजापत पुत्र श्री हनुमानराम प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 29 साल निवासी 2 अ 9 मधुवन कॉलोनी जोधपुर हाल ईन्चार्ज मेडिकल एवं केस काउन्टर अंबिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर से की गई पूछताछ, हाथ धोवन की कार्यवाही एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपीया श्रीमति संजु भाटी प्रिन्सीपल द्वारा की गई मांग के अनुशरण में सह आरोपी द्वारा श्री कार्तिकेय उर्फ कपिल प्रजापत द्वारा परिवादी श्री दिलीप कुमार से वक्त ट्रेप कार्यवाही 4,000/– रूपये रिश्वति राशि प्राप्त कर मेडिकल केस काउन्टर की दराज में रखना जो रिश्वति राशि 4,000/– रूपये सह आरोपी श्री कार्तिकेय उर्फ कपिल के कब्जे से मेडिकल केस काउन्टर की दराज से बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी, 384 भादस का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री कार्तिकेय उर्फ कपिल प्रजापत पुत्र श्री हनुमानराम प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 29 साल निवासी 2 अ 9 मधुवन कॉलोनी जोधपुर हाल ईन्चार्ज मेडिकल एवं केस काउन्टर अंबिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात वक्त 5.50 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हरिश जांगिड कनिष्ठ सहायक, श्रीमति नेमी विश्नोई पटवारी तथा परिवादी श्री दिलीप कुमार एवं आरोपीया श्रीमति संजु भाटी प्रिसींपल अंबिका शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गुडा विश्नोईयान जोधपुर के मध्य दिनांक 02.08.2023 को हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप तथा आरोपीया श्रीमति संजु भाटी प्रिसींपल व सह आरोपी कार्तिकेय उर्फ कपिल प्रजापत एव परिवादी श्री दिलीप कुमार के मध्य हुई दिनांक 05.08.2023 को रूबरू रिश्वती राशि वक्त लेन–देन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान मन अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा से निकालकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्युटर से जोडकर मैमोरी कार्ड मे रिकोर्डेड उक्त दोनों वार्तालापो को रुबरु दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के कम्प्युटर के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से बारी–बारी से सुन–सुन कर श्री अमरसिंह कानि. 415 की सहायता से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप एवं रिश्वति राशि वक्त लेन–देन वार्तालाप की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाना शुरू की गई। वक्त 7.15 पी एम पर श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 , श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक, श्रीमति सीता महिला कानि. 172 मय जरिये सरकारी वाहन टवेरा संख्या आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री लालाराम के आरोपीया श्रीमति संजु भाटी पत्नि श्री विजय सोंलकी उम्र 47 साल जाति घांची निवासी मकान नम्बर 87/5 मिल्क मैन कॉलोनी जोधपुर हाल प्रिन्सीपल अंबिका शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गुडा विश्नोईयान प्रशासनिक कार्यालय अंबिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर एव सह आरोपी श्री कार्तिकेय उर्फ कपिल प्रजापत पुत्र श्री हनुमानराम प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 29 साल निवासी 2 अ 9 मधुवन कॉलोनी जोधपुर हाल ईन्चार्ज मेडिकल एवं केस काउन्टर अंबिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर का जिला अस्पताल पावटा से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्रात कर आरोपीया श्रीमति संजु भाटी प्रिंसीपल अंबिका शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गुडा विश्नोईयान जोधपुर एव सह आरोपी कार्तिकेय उर्फ कपिल प्रजापत को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि रहदारी हेतु पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी कमिश्नरेट जोधपुर में सुपर्द करने हेतु रवाना किया गया। वक्त 9.00 पी.एम. श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 , श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक, श्रीमति सीता महिला कानि. 172 मय जरिये सरकारी वाहन टवेरा संख्या आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री लालाराम के आरोपीया श्रीमति संजु भाटी पत्नि श्री विजय सोंलकी उम्र 47 साल जाति घांची निवासी मकान नम्बर 87/5 मिल्क मैन कॉलोनी जोधपुर हाल प्रिन्सीपल अंबिका शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गुडा विश्नोईयान प्रशासनिक

कार्यालय अंबिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर एव सह आरोपी श्री कार्तिकेय उर्फ कपिल प्रजापत पुत्र श्री हनुमानराम प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 29 साल निवासी 2 अ 9 मधुवन कॉलोनी जोधपुर हाल ईन्चार्ज मेडिकल एवं केस काउन्टर अंबिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर का जिला अस्पताल पावटा से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्रात कर आरोपीया श्रीमति संजु भाटी प्रिंसीपल अंबिका शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गुडा विश्नोईयान जोधपुर एवं सह आरोपी कार्तिकेय उर्फ कपिल प्रजापत को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि रहदारी हेतु पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी कमिश्नरेट जोधपुर में सुपर्द कर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात वक्त 9.05 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हरिश जांगिड कनिष्ठ सहायक, श्रीमति नेमी विश्नोई पटवारी तथा परिवादी श्री दिलीप कुमार एवं आरोपीया श्रीमति संजु भाटी प्रिसींपल अंबिका शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गुडा विश्नोईयान जोधपुर के मध्य दिनांक 02.08.2023 को हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप तथा आरोपीया श्रीमति संजु भाटी प्रिसींपल व सह आरोपी कार्तिकेय उर्फ कपिल प्रजापत एव परिवादी श्री दिलीप कुमार के मध्य हुई दिनांक 05.08.2023 को रूबरू रिश्वती राशि वक्त लेन–देन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान मन अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा से निकालकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्युटर से जोडकर मैमोरी कार्ड मे रिकोर्डेड उक्त दोनों वार्तालापो को रुबरु दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के कम्प्युटर के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से बारी–बारी से सुन–सुन कर श्री अमरसिंह कानि. 415 की सहायता से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप एवं रिश्वति राशि वक्त लेन–देन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। तत्पश्चात उपरोक्त दोनों वार्तालापे कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड वार्ताओं की श्री अमरसिंह कानि. 415 से कार्यालय के कम्प्युटर मे कॉपी करवाई जाकर उक्त दोनो वार्तालापो की कम्प्युटर की मदद से एक सीडी तैयार करवाई गई। उक्त सीडी को डब सीडी मानते हुए सीडी पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर सीडी को खुला ही रहने दिया गया। तत्पश्चात डिजिटल वाईस रिकार्डर से मौमोरी कार्ड को बाहर निकाल कर मन अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी के एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त शील्ड सुदा मैमोरी कार्ड के पैकेट एवं एक डब सीडी खुली हालात मे ही मालखाना प्रभारी श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपीया श्रीमति संजु भाटी पत्नि श्री विजय सोंलकी उम्र 47 साल जाति घांची निवासी मकान नम्बर 87/5 मिल्क मैन कॉलोनी जोधपुर हाल प्रिन्सीपल अंबिका शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गुडा विश्नोईयान प्रशासनिक कार्यालय अंबिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर द्वारा परिवादी श्री दिलीप कुमार से उसकी उपस्थिति कम करने की धमकी देकर 15,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी, उस समय परिवादी द्वारा 5,000/– रूपये दिये थे, तो परिवादी के परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी 27 जून 2023 को अंतिम तारिख को जमा करना एव शेष राशि 10,000/– रूपये नहीं देने पर परिवादी को बार–बार प्राचार्या श्रीमती संजू भाटी द्वारा परेशान किया जाना तथा परिवादी की इस वर्ष की छात्रवृति प्राप्त करने हेतु बायोमैट्रिक महिने में एक बार करनी होती है, जो जुलाई माह से नहीं करने देना तथा परिवादी की उपस्थिति कम करने, संत्राक कम भेजने व उपस्थिति डाटा नष्ट करने की धमकियां देना तथा परिवादी को कॉलेज से निलंबित करने की धमकी देकर परिवादी से 4,000/– रूपये रिश्वति राशि की मांग करना एवं वक्त ट्रेप कार्यवाही 4,000/– रूपये रिश्वति राशि श्री कार्तिकेय उर्फ कपिल प्रजापत पुत्र श्री हनुमानराम प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 29 साल निवासी 2 अ 9 मधुवन कॉलोनी जोधपुर हाल ईन्चार्ज मेडिकल एवं केस काउन्टर अंबिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर को दिलवाना एवं रिश्वति राशि सह आरोपी श्री कार्तिकेय उर्फ कपिल प्रजापत ईन्चार्ज मेडिकल एवं केस काउन्टर अंबिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर के कब्जे से बरामद होना पाया गया है।

आरोपी श्री कार्तिकेय उर्फ कपिल प्रजापत पुत्र श्री हनुमानराम प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 29 साल निवासी 2 अ 9 मधुवन कॉलोनी जोधपुर हाल ईन्चार्ज मेडिकल एवं केस काउन्टर अंबिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर के दाहिने हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में हल्का गुलाबी रंग, आरोपी के बॉये हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में हल्का गुलाबी आना, 4,000/– रूपये रिश्वति राशि आरोपी श्री कार्तिकेय उर्फ कपिल प्रजापत के कब्जे से मेडिकल केस काउन्टर की दराज से बरामद होना। इस तरह

आरोपीया श्रीमति संजु भाटी पत्नि श्री विजय सोंलकी उम्र 47 साल जाति घांची निवासी मकान नम्बर 87/5 मिल्क मैन कॉलोनी जोधपुर हाल प्रिन्सीपल अंबिका शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गुडा विश्नोईयान प्रशासनिक कार्यालय अंबिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर एव सह आरोपी श्री कार्तिकेय उर्फ कपिल प्रजापत पुत्र श्री हनुमानराम प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 29 साल निवासी 2 अ 9 मधुवन कॉलोनी जोधपुर हाल ईन्चार्ज मेडिकल एवं केस काउन्टर अंबिका हॉस्पीटल सरस्वती नगर जोधपुर का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी, 384 भादस का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते कमांकन जरिये ई–मेल प्रेषित की जा रही है।

(अमरा राम खोखर)

निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमराराम खोखर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी, 384 भादंसं में आरोपिया 1. श्रीमती संजु भाटी पत्नी श्री विजय सोंलकी, प्रिन्सीपल, अंबिका शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गुडा विश्नोईयान प्रशासनिक कार्यालय अंबिका हॉस्पीटल, सरस्वती नगर, जोधपुर एवं सह आरोपी 2. श्री कार्तिकेय उर्फ कपिल प्रजापत पुत्र श्री हनुमानराम प्रजापत, निवासी 2 अ 9 मधुवन कॉलोनी, जोधुपर हाल ईन्चार्ज, मेडिकल एवं कैश काउन्टर, अंबिका हॉस्पीटल, सरस्वती नगर, जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 214/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6.8.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 2519-21 दिनांक 06.08.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।

6.8.23
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।